110

CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल सदस्य ग्वालियर बोर्ड

जबलपुर केम्प

599 निगरानी – 4367/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

दामोदर प्रसाद आ. श्री लालमन कतिया

सा. उमरिया, तह. गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

.... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

अजुर्न सिंह आ. श्री गिरवर सिंह राजपूत

सा. उमरिया, तह. गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

.... उत्तरवादी/अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता1959 के तहत पुनरीक्षणकर्ता रा.मा. क्र. 0021अ 12 वर्ष 17–18 पक्षकार अर्जुन सिंह राजपूत ने सीमांकन बावत आवेदन पत्र दिया न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय के पारित आदेश दिनांक 12/12/17 से असंतुष्ट होकर तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है –

प्रकरण के तथ्य

1) यह कि पुनरीक्षणकर्ता की जमीन मौजा उमरिया प.ह.नं. 69 रा.नि.मं. श्रीनगर, तह. गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर में स्थित भूमि ख. नं. 287/5 रकवा 0.010 हे. ख. नं. 292/7 रकवा 0.461 हे. ख. नं. 292/9 रकवा 0.710 हे. ख. नं. 300/12 रकवा 1.612 हे. ख. नं. 300/13 रकवा 0.102 हे. ख. नं. 300/14 रकवा 0.607 हे. ख. नं. 300/18 रकवा 0.028 हे. भूमि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है । वह भूमि स्वामी की हैसियत से कास्तकारी करते चले आ रहे है ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–4367/2018/नरसिंहपुर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
9–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय गौतम उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 21/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 12–12–2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक अर्जुनसिंह राजपूत पिता श्री गिरवर सिंह राजपूत निवासी उमरिया द्वारा भूमि खसरा कमांक 292/1, 299/1, 299/2, 300/1, 300/3, 300/4, 300/5 रकवा 3.375 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 27.11.17 को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 29.11.17 को 12.00 बजे सरहददी कास्तकारों को उपस्थित होने के लिये लेख किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.11.17 को सीमांकन कर अपना प्रतिवेदन नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.12.17 को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया, जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा–5 में वर्णित तथ्य समाधानकारक होने से धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में पटवारी द्वारा दिनांक 27.11.17 को सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसमें दामोदर के हस्ताक्षर बने हुये हैं, इससे यह स्पष्ट है कि उनको सीमांकन की जानकारी थी। आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नहीं है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों के अंतिम पैरा में लेख किया गया है कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार गोटेगावं का आदेश दिनांक 12.12.17 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 21/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 12–12–2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य